अध्याय- तृतीय

लेनदेनों की लेखा परीक्षा कंडिकाऐं
(नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

3.1 तेरहवे वित्त आयोग द्वारा शहरी/नगरीय स्थानीय निकायों को जारी तथा उपयोग किये गये अनुदान पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष

राज्यों की संचित निधि आवर्धन हेतु आवश्यक उपायो के लिये पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसायें की गई। इस संबंध में तेरहवें वित्त् आयोग ने नगरीय/शहरी स्थानीय निकयों के दोंनों क्षेत्रों (सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र) हेतु अनुदान की वर्ष 2010-15 की अवधि के लिये अनुशंसा की है। इन अनुदानों के अतिरिक्त वर्ष 2011-12 से उन राज्यों के लिए जो शर्तों को पूरा करते है, उनके लिए निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए उपलब्ध होगा। भारत सरकार के दिशा निर्देश (सितम्बर 2010) के अनुसार सभी स्थानीय निकाय अनुदान को जारी करने के लिये लगायी गयी शर्ते को पूरा करने की स्थिति में दो किस्तों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जुलाई एवं जनवरी में जारी किया जाना था।

भारत सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2010-11 में प्राप्त अनुदान का विवरण् **परिशिष्ट-VIII** में दिया गया है।

इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग के वर्ष 2010-11 के अनुदान को जारी किये जाने एवं उपयोग किये जाने की जानकारी वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आयुक्त नगर पालिका निगम भोपाल, नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद कोलार, भोपाल से प्राप्त की गयी। अनुदानों को जारी एवं उपयोग से संबंधी लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैः-

3.1.1 अनुदान के हस्तांतरण मे विलंब

भारत सरकार के जारी आदेश (जुलाई-2010) के कंडिका-3 के अनुसार स्थानीय निकाय अनुदान की प्रथम किस्त भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जानी थी। भारत सरकार के रिलीज आदेश (मार्च 2011) के अनुसार अनुदान की द्वितीय किस्त बैंकिग सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर 05 दिन व 10 दिन के अंदर जारी की जानी थी। निर्धारित अवधि से अधिक विलंब से नगरीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित किये जाने की स्थिति में राज्य शासन को भारतीय रिजर्व बैंक दर के समान दर से नगरीय निकायों को किस्त के साथ ब्याज का भुगतान किया जाना था।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2010-11 में सामान्य मूल अनुदान और विशेष क्षेत्र मूल अनुदान दिशा निर्देशों विपरीत निर्धारित समयावधि में जारी नहीं किया गया। विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

अनुदान का नाम/किश्तों की संख्या	भारत सरकार से प्राप्त हुई राशि		कोषालय से आहरित की गई राशि (₹करोड़ में)	स्थानीय निकायों को प्रदान की गई राशि		निश्चित अवधि के पश्चात नगरीय निकायों को प्रदान किया गया अनुदान/स्थानीय निकायों को देय ब्याज की राशि	
	दिनांक	राशि (₹करोड़ में)		दिनांक	राशि (₹करोड़ में)	दिन	ब्याज (रूपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**
नगरीय स्थानीय निकाय							
1.सामान्य मूल अनुदान प्रथम किश्त	15.7.10	69.55	69.550	26.8.10	69.55	27[15]	30,86,877
2. विशेष क्षेत्र मूल अनुदान प्रथम किस्त	15.7.10	1.97	1.971	26.8.10	1.971	27	87,480
3. सामान्य मूल अनुदान द्वितीय किस्त	29.3.11	67.87	67.870	30.3.11	67.87	--	--
				टीप- भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने की वास्तविक दिनांक 30.03.11 थी जबकि कोषालय से राशि ₹ 67.87 करोड़ 31.03.11 को प्राप्त हुई जिससे ब्याज की गणना नहीं की जा सकी।			
1.विशेष क्षेत्र मूल अनुदान द्वितीय किस्त	30.3.11	1.97	1.570	20.4.11	1.57	16[16]	41,293
	कुल	**141.36**	**140.961**				**32,15,650 या ₹ 32.16 लाख**

स्रोत- (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर)

नमूना जांच किये गये कार्यालय के अभिलेखों की जांच एवं प्राप्त जानकारी की समीक्षा में पाया गया कि आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा सामान्य मूल अनुदान तथा विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम किस्त स्थानीय निकायों को 27 दिन के विलंब से जारी की गयी। विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की द्वितीय किस्त की राशि शहरी स्थानीय निकायों को 16 दिन के विलंब से जारी की गई। दिशा निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को भारतीय रिजर्व बैंक की दर से ब्याज राशि ₹ 32.16 लाख उपरोक्त् तालिका में दर्शाये गये अनुसार भुगतान किया जाना था। ब्याज राशि ₹ 32.16 लाख परिकलित की गयी विवरण् उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

15 गणना 15 दिवस को छोड़कर की गई है।

16 गणना 05 दिवस को छोड़कर की गई है।

3.1.2 भारत सरकार को उपयोगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग की दिशा निर्देशानुसार पैरा 6.2 के अनुसार तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान राशि का जारी किया जाना पूर्व आहरित किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर होगा।

नमूना जांच की गई इकाईयों के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2011) में पाया गया कि उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2010-11 में शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित अनुदान (**परिशिष्ट-VIII**) राशि ₹ 140.96 करोड़ की वास्तविक उपयोग को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010-11 में किसी भी नमूना जांच किये गये इकाई द्वारा 13वें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग की जानकारी सूचित नहीं किया गया।

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा (अगस्त 2011) उत्तर दिया कि शहरी स्थानीय निकायों को उनके द्वारा व्यय किये गये अनुदान की गतिविधि वार व्यय की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। अगस्त 2012 तक स्थिति यथावत रही।

3.1.3 निगरानी एवं मूल्यांकन की कमी

तेरहवें वित्् आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में वित्त विभाग द्वारा मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति जुलाई 2010 में गठित की गयी। समिति का उद्देश्य अनुदान की प्रत्येक श्रेणी पर लागू शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना था। उच्च् स्तरीय समिति की बैठक तीन माह मे एक बार आयोजित की जानी थी।

यह पाया गया कि माह जनवरी 2011 तक उच स्तरीय समिति की मात्र दो बैठकें माह जुलाई 2010 एवं दिसम्बर 2010 में आयोजित की गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुदान के उचित उपयोग हेतु निगरानी एवं मूल्यांकन व्यवस्था की कमी थी।

3.1.4 निष्कर्ष

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से राज्य शासन को प्राप्त स्थानीय निकाय अनुदान राशि को शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित अवधि में हस्तांतरित नहीं किया गया जिससे शासन पर शहरी स्थानीय निकायों को भुगतान किये जाने के लिये ब्याज राशि के रूप में ₹ 32.16 लाख की देयतायें निर्मित हुई। शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित अनुदान राशि का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया। अनुदान के वास्तविक उपयोग को भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया (अगस्त 2011) । इससे अगले वर्ष 2011-12 के लिये भारत सरकार से राज्य शसन के प्राप्त होने वाले निष्पादन अनुदान प्रभावित होगा।

3.2 व्यवसायिक दुकानों के आवंटन न किये जाने से राशि ₹ 2.68 करोड़ की राजस्व की हानि

अधिनियम के प्रावधानों का पालन न किये जाने से 102 दुकानें आवंटित नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप नगर पालिका निगम रतलाम को राशि ₹ 2.68 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 80 में दिये गये अधिकारों को उपयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम (अचल संपत्ति का हस्तांतरण) नियम, 1994 बनाया गया। उपरोक्त नियमावली के नियम 3 के अनुसार राजस्व अर्जित करने वाली अचल संपत्ति को लोक निविदा द्वारा सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है, या सील बंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में सरकार की पूर्व अनुमती लेना आवश्यक है।

नगर पालिका निगम रतलाम के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2008) में पाया गया कि निगम की स्वयं की निधियों से 104 दुकानों का निर्माण जिसमें दो दुकाने विद्युत उपयोग हेतु आरक्षित थी राशि ₹1.17 करोड़ की लागत से बस स्टैण्ड रतलाम के पास सुभाष चंद्र बोस शॉपिग काम्पलेक्स 1999 में किया गया। दुकानों के विक्रय के लिये उपरोक्त नियमों का पालन न करते हुये उसके स्थान पर निगम ने जुलाई 1995 में एक मुश्त राशि जमा करने वालों को पहले आओ पहले पाओं की नीति के आधार पर दुकानों के आवंटन का निर्णय लिया। इस संदर्भ में 34 आवेदकों ने प्रति आवेदक ₹ 60,000/70,000 के मान से कुल राशि ₹ 21.60 लाख एक मुश्त राशि जमा की जबकि 78 आवेदकों ने पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹10,000/- प्रति आवेदक के मान से राशि ₹ 7.80 लाख जमा की गई। नगर निगम ने दिसम्बर 2001 में शासन से अपनी नीति का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया। यह भी देखा गया कि जुलाई 1995 में दुकानों को किराये पर देने के लिये किराये का निर्धारण 46 ऊपरी तल की दुकानों का ₹ 300 प्रतिमाह की दर से तथा 56 निचली मंजिल की दुकानों का 200 प्रतिमाह की दर से निश्चित किया गया। अप्रैल 2006 में नगर निगम द्वारा गठित समिति के द्वारा 102 दुकानों[17] का ऑफ सेट मूल्य ₹ 2.25 लाख प्रति दुकान की अनुशंसा की गई साथ ही शॉपिग कॉम्पलेक्स में दुकान की स्थिति के अनुसार किराये की विभिन्न श्रेणियाँ निर्धारित की गयी। दुकानों के आवंटन से संबंधित राज्य सरकार का अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है जिससे नगर निगम रतलाम को राशि ₹ 2.68 करोड़ (₹ 2.30 करोड़ ऑफसेट मूल्य तथा ₹ 59.87 लाख[18] किराये में से राशि ₹ 21.60 लाख आवेदकों द्वारा जमा एकमुश्त राशि कम करने पर) की हानि हुई।

---

[17] प्रति दुकान राशि ₹ 225400*102दुकान=22990800

[18] किराया-

1.1.2000 से 31.4.2006	76 माह	46 दुकानें	₹ 300 प्रतिमाह	₹ 10,48,800
1.1.2000 से 31.4.2006	76 माह	56 दुकानें	₹ 200 प्रतिमाह	₹ 8,51,200

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आयुक्त नगर निगम रतलाम द्वारा (जुलाई 2008 तथा मार्च 2011) में स्वीकार किया गया कि दुकानों का आधिपत्य नहीं दिया जा सका क्योकि दुकानों का आवंटन मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम (अचल सम्पत्तियों का हस्तांतरण) नियम 1994 के नियम 3 के अनुसार नहीं किया गया। यह प्रकरण राज्य सरकार के मार्गदर्शन के लिये भेजा गया है और सरकार के मार्गदर्शन के पश्चात ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा। सरकार का निर्णय अभी भी लंबित है।

इस प्रकार दुकान आवंटन के प्रावधानों का पालन न किये जाने से तथा प्रकरण में सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त करने में उदासीन रवैया अपनाने जाने के कारण निर्माण दिनांक से 11 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी दुकानों का आवंटन नहीं किया जा सका जिससे ₹ 2.90 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को जून 2011 और नवंबर 2012 में प्रतिवेदत किया गया किन्तु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

1.5.2006 से 31.5.2011	61 माह	28 दुकानें	₹ 800 प्रतिमाह	₹ 13,66,400
1.5.2006 से 31.5.2011	61 माह	18 दुकानें	₹ 700 प्रतिमाह	₹ 7,68,600
1.5.2006 से 31.5.2011	61 माह	40 दुकानें	₹ 600 प्रतिमाह	₹ 14,64,000
1.5.2006 से 31.5.2011	61 माह	16 दुकानें	₹ 500 प्रतिमाह	₹ 4,88,000
			कुल	**₹ 59,87,000**